



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY

(Established under Act 23, 2005)

Teenpani Bypass, Near Transport Nagar, Haldwani (Nainital)UTTARAKHAND- 263139

Phone No. :05946-286000

Website: www.uou.ac.in, e-mail: info@uou.ac.in

Employment Notice No. : UOU/ Add/R3/006/2020-21, Dated : 02 November, 2020

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में सहायक कुलसचिव के रिक्त 04 पदों को वेतनबैंड 35400-112400 (लेवल 6) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक वर्ष के लिये भरा जाना है। उक्त पद हेतु निम्नांकित अर्हता रखने वाले पद धारकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

(1) अनिवार्य:-

(क) शैक्षिक:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान।

(ख) अनुभव:- सरकारी कार्यालय अथवा किसी विश्वविद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी पत्रलेखन तथा लेखा नियमों का कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव एवं कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।

प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरित किये जाने वाले पदों हेतु सामान्य निर्देश-

1. प्रतिनियुक्ति के लिये विज्ञापित पद के ठीक नीचे के ग्रेड वेतन, पद के समकक्ष या उच्च ग्रेड वेतन में कार्यरत कार्मिक अर्ह होंगे, किन्तु चयनित अभ्यर्थी के विज्ञापित पद के ग्रेड वेतन से अधिक ग्रेड वेतन अनुमन्य नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति की शर्तें शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप होंगी।
2. प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी किन्तु शासन द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के संबंध में कोई आदेश प्राप्त होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति अवधि 03 वर्ष से पूर्व समाप्त की जा सकती है।
3. आवेदक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) समस्त शैक्षिक एवं अनुभव के उल्लेख सहित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्रों के साथ विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के भीतर (05:00 बजे) तक कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, तीन पानी बाई पास रोड, ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे, हल्द्वानी-263139 के नाम स्पीड पोस्ट/पंजीकृत/कोरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित करें।

4. उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. भत्ते:— प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर प्रभावी व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य होंगे।
6. आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अंकित होना अनिवार्य है।



कुलसचिव